प्रेषक,

संख्याः नि0 205 /2–36 (T.S.P.)

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी
वन विभाग,उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः 20 जुलाई, 2019।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में वन विभाग के अनुदान सं0–31 (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) राज्य सैक्टर योजना "2406–01–796–04–00– बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का सरंक्षण" के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या 877/X–2–2019–12(33)/2017 दिनांक 08 जुलाई,2019 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं अलॉटमेंट आई.डी.S19070310007 दिनांक 05.07.2019 से वित्तीय वर्ष 2019–20 में वन विभाग के अनुदान संख्या–31 (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) राज्य सैक्टर योजना "2406–01–796–04–00– बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का सरंक्षण" के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त धनराशि ₹ 19,00,000/–(₹ उन्नीस लाख मात्र) का बजट **IFMS पोर्टल** के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाइन निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त/जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

1–सदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2–अनुदान संख्या–31 में आवंटित धनराशि समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन द्वारा 2011 की जनगणना के अनुसार चिन्हित क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही वृक्षारोपण कार्य कराये जायेंगे एवं यदि अन्य क्षेत्रों तथा वृक्षारोपण से इतर कार्य कराया जाना संज्ञान में आता है तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3–मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित कार्यो में से किसी भी एक कार्य की लागत ₹ 5.00 लाख से अधिक न हो तथा वृहद निर्माण कार्य की लागत ₹ 5.00 लाख से कम करने के लिए उसके टुकड़े न किये जाए। सर्वप्रथम गत वर्षो के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाय तदोपरान्त ही नए कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त/व्यय की जाय।

4–कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 29.03.2019 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6–आवंटित धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सु–संगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7–बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाये और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाये।

8–योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाये।

9–आवंटित/जारी धनराशि के मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर विलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

10–सदर्भित शासनादेश एवं उक्त बिन्दु संख्या–1 से 9 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–31 (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का सरंक्षण"हेतु सक्षम स्तर/अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून स्तर से जारी भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

Scanned by CamScanner

संख्याः नि0 205 (1)/ 2–36 (T.S.P.) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6–समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड को **IFMS पोर्टल** के माध्यम से विभा के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों **ऑन लाईन आवंटित बजट** की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।
7– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ तथा गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
10–समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक / निदेशक, उत्तराखण्ड।
11–मुख्य वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0 कार्यालय मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

Scanned by CamScanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Pithoragarh(3800)

DDO-DFO Pithoragarh Forest DivisionPithoragarh(4256)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-205/2-36(TSP)

आवंटन आई डी-H19070310129

अनुदान संख्या-031

आवंटन पत्र दिनांक-20-JUL-2019

लेखा शीर्षक	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	01-Forestry
	796-जनजाति क्षेत्र उप योजना	04-बहुउददेशीय व्रक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण
	00-सिविल एवं सोयम वनों का विकास (राज्य सेक्टर)	Voted

2	4	0	6	0	1	7	9	6	0	4	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
29-अनुरक्षण	0	335000	0	335000
योग	0	335000	0	335000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,35,000 (Rupees Three Lacs Thirty Five Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-DFO Badrinath Forest DivisionGopeswar(4257)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-205/2-36(TSP)

आवंटन आई डी-H19070310130

अनुदान संख्या-031

आवंटन पत्र दिनांक-20-JUL-2019

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

01-Forestry

796-जनजाति क्षेत्र उप योजना

04-बहुउददेशीय व्रक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण

00-सिविल एवं सोयम वनों का विकास (राज्य सेक्टर)

Voted

2	4	0	6	0	1	7	9	6	0	4	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
29-अनुरक्षण	0	150000	0	150000
योग	0	150000	0	150000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,50,000 (Rupees One Lac Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Vikasnagar(0105)

DDO-DFO Soil Conservation Division KalsiKalsi(4258)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-205/2-36(TSP)

आवंटन आई डी-H19070310131

अनुदान संख्या-031

आवंटन पत्र दिनांक-20-JUL-2019

लेखा शीर्षक	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	01-Forestry
	796-जनजाति क्षेत्र उप योजना	04-बहुउददेशीय व्रक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण
	00-सिविल एवं सोयम वनों का विकास (राज्य सेक्टर)	Voted

2	4	0	6	0	1	7	9	6	0	4	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
29-अनुरक्षण	0	1415000	0	1415000
योग	0	1415000	0	1415000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.14,15,000 (Rupees Fourteen Lacs Fifteen Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER